11/1/2021 विषय प्रेषण। अधिवक्ता उच्चन्यायालय अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा प्रा. पत्र प्रेषण कर निवेदन किया गया कि विवादित आरक्षण के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के रिट क्रमांक 364/2012 से स्थगन आदेश पारित किया गया है इसलिए उक्त प्रकरण को राजी स्तर पर निस्तारित करवाया जावे जिसे प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया बाद अवलोकन पर वादी एवं प्रतिवादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर वादपत्र को निस्तारित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:36:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner